केन्द्रीय विद्युत विनियामक आयोग

तृतीय एवं चतुर्थ तल, चन्द्रलोक बिल्डिंग, 36, जनपथ,
नई दिल्ली-110001, फोन: 23353503, फैक्स: 23753923
वेबसाइट: www.cercind.gov.in

याचिका सं. 145/टीएल/2023 दिनांक: 21.07.2023

विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 15 की उप–धारा (5) के खंड (क) के अधीन नोटिस

केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड, बी–9, कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया, कटवारिया सराय, नई दिल्ली–110016 द्वारा निम्नलिखित घटकों को शामिल करते हुए निर्माण, स्वामित्व, प्रचालन और अंतरण आधार (इसके बाद "परियोजना" के रूप में संदर्भित) पर खावड़ा आरई पार्क में खावड़ा पूलिंग स्टेशन–3 (केपीएस3) की स्थापना स्थापित करने के लिए 2009 (इसके बाद "पारेषण अनुज्ञप्ति विनियम" के रूप में संदर्भित) स्थापित करने के लिए विद्युत अधिनियम, 2003 (अधिनियम) की धाराओं 14 और 15 के अधीन आवेदन किया गया है:

क्र. सं.	पारेषण घटक का नाम	प्रभावी तारीख से मास में अनुसूचित सीओडी	संबंधित घटक की वाणिज्यिक प्रचालन (सीओडी) घोषित करने के लिए पूर्वापेक्षित घटक
1.	1X330 एमवीएआर 765 केवी बस रिएक्टर और 1X125 एमवीएआर 400 . केवी बस रिएक्टर के साथ 765/400 केवी, 3X1500 एमवीए, केपीएस3 (जीआईएस) की स्थापना। 1500 एमवीए, 765/400 के वी आईसीटी –3 नंबर (एक अतिरिक्त यूनिट सहित 10X500एमवीए) 765केवी आईसीटी बे –3 नंबर 400 केवी आईसीटी बे –3 नंबर 765 केवी लाइन बे –2 नंबर 400 केवी लाइन बे –3 नंबर 1X330 एमवीएआर, 765 केवी बस रिएक्टर–1 (4X110 एमवीएआर, एक स्पेयर यूनिट सहित) 765 केवी रिएक्टर बे –1 1X125 एमवीएआर 400 केवी बस रिएक्टर–1 400 केवी रिएक्टर बे –1 5X1500 एमवीए 765/400 केवी आईसीटी के भावी विस्तार के लिए पर्याप्त स्थान भावी प्रावधानः बे सहित 765/400 केवी आईसीटी के लिए स्थानः 5 नबंर 765 केवी लाइन बेः 4 नबंर 400 केवी लाइन बेः 10 नबंर 765 केवी बस सेक्शनलाइजर ब्रेकरः 2 नबंर 400 केवी बस सेक्शनलाइजर ब्रेकरः 2 नबंर भविष्य में क्षेत्र की किसी भी आहरण संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखने के लिएः 400/220 केवी आईसीटीः 2 नबंर 220 केवी लाइन बेः 4 नबंर	21मास	क्रम सं. 1, 2 और 3 पर अंकित घटकों को एक साथ आरंभ किए जाने की आवश्यकता है चूंकि उनका उपयोग एक–दूसरे के आरंभ होने पर निर्भर है।
2.	केपीएस 3– केपीएस 2 765 केवी डी/सी लाइन		
3.	765 के वी लाइन बे की संख्या केपीएस3– केपीएस2 765 केवी डी/सी लाइन 765 केवी लाइन बे के लिए केपीएस2 765 केवी सब–स्टेशन पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबरः केपीएस2 छोर पर 2 नबंर		

नोटः

i) 765/400 केवी, 3X1500 एमवीए आईसीटी और 1X330 एमवीएआर, 765 केवी एवं 1X125 एमवीएआर, 400 केवी बस रिएक्टरों के साथ बस सेक्शन–I के साथ पूलिंग स्टेशन का निर्माण किया जाएगा।

ii) 765/400 केवी, 4X1500 एमवीए आईसीटी और 1X330 एमवीएआर 765 केवी एवं 1X125 एमवीएआर 400 केवी बस रिएक्टरों के साथ बस सेक्शन II (भावी) का निर्माण किया जाएगा।

iii) 765केवी स्तर पर साधारण रूप से बस सेक्शनलाइजर बंद रहेगा और 400 केवी स्तर पर साधारण रूप से बस सेक्शनलाइजर खुला रहेगा।

iv) केपीएस2 765 केवी सब–स्टेशन का डेवलेपर, केपीएस3–केपीएस2 765 केवी डी/सी लाइन के समापन के लिए केपीएस2 765 केवी सब–स्टेशन पर 765 केवी लाइन बे के 2 नंबर के लिए स्थान प्रदान करेगा।

v) केपीएस3 पर आरई परियोजना की प्रथम बोली एसईसीआई/आरईआईए द्वारा अवार्ड किए जाने के बाद योजना को अवार्ड किया जाएगा।

2. आवेदक को अधिनियम की धारा 63 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार आरईसी पावर डेवलपमेंट एंड कंसलटेंसी लिमिटेड (आरईसीपीडीसीएल) द्वारा की गई प्रतिस्पर्धात्मक बोली के आधार पर ₹ 755.29 मिलियन के निम्नतम स्तरीकृत पारेषण प्रभारों के साथ पारेषण सेवा प्रदाता के रूप में चयनित किया गया है।

3. सेंट्रल ट्रांसमिशन यूटिलिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड ने दिनांक 1.5.2023 के अपने पत्र द्वारा प्रस्तावित पारेषण प्रणाली के निर्माण के लिए आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु संस्तुत किया है।

4. रिकॉर्ड में उपलब्ध सामग्री के आधार पर, आयोग ने याचिका सं. 145/टीएल/2023 में दिनांक 20.7.2023 के आदेश द्वारा उपर्युक्त पैरा 1 में यथोल्लिखित पारेषण प्रणाली की स्थापना हेतु आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति जारी किए जाने का प्रस्ताव किया है।

5. केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड, (अब पावरग्रिड केपीएस3 ट्रांसमिशन लिमिटेड के नाम से अभिज्ञात) को अंतरराज्यिक पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आवेदक द्वारा आयोग के समक्ष किए गए अनुबंध एवं अनुलग्नकों सहित आवेदन की प्रति को वेबसाइट www.powergrid.in/subsidiaries पर देखा जा सकता है या निर्धारित क्रियाविधि का अनुपालन करते हुए आयोग के कार्यालय में किसी व्यक्ति द्वारा निरीक्षित क्रिया जा सकता है।

6. नोटिस, अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (5) के खंड (क) के अनुसरण में दिया गया है कि उक्त के अनुसार, आवेदक को पारेषण अनुज्ञप्ति प्रदान किए जाने हेतु आयोग के प्रस्ताव में सुझावों या आपत्तियों, यदि कोई हो, को उक्त पते पर दिनांक 7.8.2023 तक अधोहस्ताक्षरी को भेज दिया जाए। विनिर्दिष्ट तारीख के बाद प्राप्त हुए सुझावों या आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा।

7. आयोग द्वारा दिनांक 11.8.2023 को आवेदन पर आगे की सुनवाई की जाएगी। कोई व्यक्ति जो सुझावों या आपत्तियों को दर्ज करता है, वह इस सुनवाई में अपने स्वविवेक से उपस्थित रह सकता है जिसके लिए आयोग द्वारा कोई टीए/डीए नहीं दिया जाएगा।

हस्ता/–
(हरप्रीत सिंह पुष्पी)
सचिव